भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1617
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

पोत निगरानी प्रणाली

1617. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **मत्स्यपालन, पंशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पर्स सीन नेट और बुल ट्रॉलिंग जैसे मछली पकड़ने के प्रतिबंधित प्रचलनों पर अंकुश लगाने के लिए कोई पोत निगरानी प्रणाली (वीएमएस) या उपग्रह- आधारित निगरानी तंत्र कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार के उक्त तंत्र को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समयसीमा क्या है; और

(घ) मछली पकड़ने के प्रतिबंधित प्रचलनों को रोकने के लिए पिछले एक वर्ष में तटरक्षक बल और मत्स्य विभाग द्वारा की गई संयुक्त गश्तों की संख्या कितनी है और ऐसी गश्तों के दौरान पकड़े गए अवैध पोतों की संख्या कितनी है और उन पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है, साथ ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 364 करोड़ रुपए के परिव्यय से सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मैकेनाईज़्ड और मोटोराईज़्ड वेसल्स को कवर करते हुए एक लाख मरीन फिशिंग वेसल्स पर स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसपोंडरों की स्थापना हेतु "वेस्सल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (VCSS) के लिए नेशनल रोलआउट प्लान" परियोजना को स्वीकृति दी है। वेस्सल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (VCSS) को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तकनीकी सहयोग से लागू किया जा रहा है। VCSS एक उपग्रह आधारित टू-वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो समुद्र में मछुआरों को समुद्री सुरक्षा और बचाव में सहायता प्रदान करती है, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के दौरान अलर्ट देती है, 'नो फिशिंग ज़ोन' और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा/ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन (IMBL) के लिए जियो-फेंसिंग सुविधा प्रदान करती है और इसे *Nabhmitra App.* के साथ एकीकृत किया गया है। VCSS परियोजना का लक्ष्य एक लाख वेसल्स को कवर करना और पूरे देश में कवरेज सुनिश्चित करना है। अब तक, इस परियोजना के तहत तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 49,000 से अधिक ट्रांसपोंडर लगाए जा चुके हैं।

भारत सरकार ने एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (EEZ) में मत्स्यन के हानिकारक पद्धतियों जैसे बुल ट्रॉलिंग या पेयर ट्रॉलिंग और आर्टिफिशियल लाइट या LED लाइट के उपयोग पर रोक लगा दी है। हालांकि कुछ तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रीय जल (टेरिटोरियल वाटर्स) में पर्स सीन फिशिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, कुछ अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रीय जल में फिशिंग की इस विधि की अनुमति दी है। जहाँ तक क्षेत्रीय जल से आगे के EEZ में फिशिंग का प्रश्न है, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आलोक में, EEZ क्षेत्र में पर्स सीन फिशिंग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(घ) मछली पकड़ने से संबंधित नियमों का प्रवर्तन, जिसमें निषिद्ध मछली पकड़ने की पद्धतियों के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल है, मुख्य रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा संबंधित मरीन फिशरीज़ रेगुलेशन एक्ट (MFRAs) के तहत किया जाता है। सभी समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है, जिसमें फिशिंग वेसल्स की हार्बर-आधारित मॉनिटरिंग, प्रादेशिक जलक्षेत्र के भीतर और बाहर हानिकारक फिशिंग को रोकने के लिए आवश्यक सरकारी आदेश जारी करना, पेट्रोल वेस्सल और ड्रोन द्वारा निगरानी करना और अपने-अपने राज्य के MFRA के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना शामिल है। राज्य मात्स्यिकी विभागों और तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) द्वारा कोई संयुक्त पेट्रोलिंग नहीं की जाती है। हालांकि, कोस्ट गार्ड के शिप अपने नियमित पेट्रोलिंग के माध्यम से समुद्र में फिशिंग बोट्स द्वारा की जाने वाली प्रतिबंधित फिशिंग की गतिविधियों की निगरानी करते हैं और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। अवैध फिशिंग गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में फिशिंग बोट्स, उपकरणों की जब्ती, जुर्माना लगाना या अभियोजन शामिल है, और यह कार्रवाई सक्षम राज्य अधिकारियों द्वारा MFRAs और अन्य लागू कानूनों के अनुसार की जाती है।

*****